

नागरिकता

Citizenship

■ नागरिक :-

नागरिक का अर्थ उन देश के निवासियों से है जिन्हें राजनीतिक और कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं।

विश्व में राजनीतिक प्राणी चार प्रकार के होते हैं।

- (i) नागरिक
- (ii) विदेशी
- (iii) शरणार्थी
- (iv) राज्य विहिन

नागरिकता

Citizenship

■ Citizen : -

Citizen means the residents of the country who enjoy political and legal rights.

There are four types of political beings in the world.

- (i) Citizen
- (ii) foreign
- (iii) refugee
- (iv) Stateless

नागरिक

```
graph TD; A[नागरिक] --> B[26 Jan 1950 के संबंध में]; A --> C[1955 Act. वर्तमान]; B --> D["5, 6, 7, 8, 9, 10, 11"]; D --> E[वर्तमान]; C --> F["1966, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019"];
```

26 Jan 1950
के संबंध में

**5, 6, 7, 8, 9, 10,
11**

वर्तमान

1955 Act.
वर्तमान

**1966, 1992,
2003, 2005,
2015, 2019**

Citizen

```
graph TD; Citizen[Citizen] --- A[Article regarding 26 Jan 1950]; Citizen --- B[1955 Act. Present]; A --- C["5, 6, 7, 8, 9, 10, 11"]; C --> D[Present]; B --- E["1966, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019"]
```

**Article regarding
26 Jan 1950**

**5, 6, 7, 8, 9, 10,
11**

Present

**1955 Act.
Present**

**1966, 1992,
2003, 2005,
2015, 2019**

Article - 5

- 26 Jan 1950 को भारत का नागरिक कौन थे ?
 - ☞ जिसके पास भारत का मूल निवास है।
 - ☞ जिसका जन्म भारत में हुआ
 - ☞ जिसके माता-पिता दादा-दादी का जन्म भारत में हुआ हो या भारत का नागरिक हों।
 - ☞ संविधान लागू होने से 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो।
- **D. P. Joshi Vs मध्य भारत (1955)**

मूल निवास का अर्थ होता है भारत का मूल निवास न किसी राज्य का।

Article - 5

- **Who was a citizen of India on 26 Jan 1950?**
 - ☞ **Who has the original residence of India.**
 - ☞ **Who was born in India**
 - ☞ **Whose parents grandparents are born in India or are citizens of India.**
 - ☞ **Have been residing in India for 5 years since the constitution came into force.**
 - ☞ **D. P. Joshi Vs Central India (1955)**

Original residence means the original residence of India and not of any state.

Article - 6

- Provision regarding people coming to India from Pakistan.
- A person who came to India before July 19, 1948, if his parents, grandparents, grandparents, are citizens of India, then he will automatically get citizenship of India.
- A person who came to India after July 19, 1948 and
 - ☞ His parents, grandparents, grandparents, are Indians.
 - ☞ Stay in India for 6 months after obtaining a permit.

Article - 7

- Provision for people going to Pakistan from India.
- If a person has gone to Pakistan from India before 01 March 1947, then he will not get citizenship of India.
- If he has come after 01 March 1947 and if he has come before 19 July 1948, then he will get citizenship of India ordinarily.
- If he came after July 19, 1948, then under the permit rule, he will get citizenship of India after staying for 6 months.

Article - 8

- भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार ।

Article - 9

व्यक्ति के माता-पिता, दादा-दादी, नाना नानी, भारत के नागरिक हैं।

- यदि किसी व्यक्ति या नागरिक ने भारत की नागरिकता छोड़ किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी ।

Article - 8

- Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India.
- If that person's parents, grandparents, maternal grandparents, are citizens of India.

Article - 9

- If a person or citizen voluntarily acquires the citizenship of another country by giving up the citizenship of India, then his citizenship of India will automatically end.

Article - 10

- नागरिकता के अधिकारों को संसद के संसोधन करने तक बना रहना अर्थात् अनुच्छेद 5,6,7,8,9 में दिए गए सभी प्रावधान संसद के अनुमति तक बने रहेंगे ।

Article - 11

- नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार सिर्फ भारत के संसद को प्राप्त है, अतः राज्य सरकार या विधान मंडल नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार नहीं रखता ।
- संसद ने अपने इस अधिकार का प्रयोग करके नागरिकता संसोधन अधिनियम 1955 का निर्माण किया ।

Article - 10

- All the provisions given in Articles 5,6,7,8,9 shall remain till the approval of Parliament.

Article - 11

- Only the Parliament of India has the right to make laws regarding citizenship, so the state government or the legislature does not have the right to make laws regarding citizenship.
- Parliament used this right to enact the Citizenship Amendment Act 1955.

- नागरिकता संशोधन 1955 में, वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में संशोधित किया गया था।
- *** Five Ways to Acquire Citizenship (Act of 1955)**
 1. जन्म से (By Birth)
 2. वंश से (By Descant)
 3. पंजीकरण से (By Registration)
 4. देशीकरण से (By Naturalisation)
 5. किसी भू-भाग के भारत मिलाकर (By Incorporating Any Land Area)

- Citizenship Amendment was amended in 1955, in the years 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019.
- *** Five Ways to Acquire Citizenship (Act of 1955)**
 1. जन्म से (By Birth)
 2. वंश से (By Descant)
 3. पंजीकरण से (By Registration)
 4. देशीकरण से (By Naturalisation)
 5. किसी भू-भाग के भारत मिलाकर (By Incorporating Any Land Area)

■ जन्म से (By Birth) :-

- ☞ यदि किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ है तो उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो (1986 संसोधन अधिनियम) और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो (2003

■ वंश से (By Descent) :-

- ☞ किसी व्यक्ति का जन्म यदि भारत से बाहर हुआ हो और उसके माता या पिता भारतीय हो । (1992 का संसोधन)
- ☞ जन्म के 01 वर्ष के अंदर भारतीय नागरिकता अधिकारी से पंजीकरण अवश्य

■ पंजीकरण से (By Registration) :-

- ☞ कोई व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है यदि $6+1 = 7$ वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो।

■ जन्म से (By Birth) :-

- ☞ If a child is born in India, one of his parents is an Indian (1986 Amendment Act) and the other is not an illegal migrant (2003 Amendment Act).

■ वंश से (By Descant) :-

- ☞ If a person is born outside India and his parents are Indians. (1992 amendment)
- ☞ Must register with the Indian Citizenship Officer within 01 year of birth.

■ पंजीकरण से (By Registration) :-

- ☞ A person can acquire citizenship of India through registration if he has been residing in India for $6 + 1 = 7$ years.

■ देशीकरण से (By Naturalisation) :-

- ☞ भारत की 8वीं अनुसूची की किसी भाषा का ज्ञाता हो ।
- ☞ विज्ञान कला साहित्य में अच्छा ।
- ☞ 10 वर्ष से निवास कर रहा हो
- ☞ अच्छे चरित्र का हो ।
- ☞ किसी ऐसे देश का निवासी न हो जहाँ के नागरिकों को देशीकरण के आधार पर नागरिकता ग्रहण करने पर रोक हो ।

■ किसी भू-भाग को भारत में मिलाकर (By Incorporating Any Land Area) :-

- ☞ यदि किसी भू-भाग को भारत में मिलाया जाता है। तो उस भू-भाग पर निवास करने वाले लोग भारत के नागरिक बन जाते हैं परन्तु ऐसा करना भारत सरकार पर निर्भर करता है ।
जैसे:- सिक्किम, गोवा, पडचेरी, इत्यादि ।

■ देशीकरण से (By Naturalisation) :-

- ☞ Knowledge of any language of the 8th Schedule of India.
- ☞ Good at science, art and literature.
- ☞ Have been living for 10 years
- ☞ Be of good character.
- ☞ Not to be a resident of a country where citizens are prohibited from acquiring citizenship on the basis of naturalisation.

■ किसी भू-भाग को भारत में मिलाकर (By Incorporating Any Land Area) :-

- ☞ If a territory is merged with India. So the people living on that land become citizens of India, but it is up to the Government of India to do so. Such as: Sikkim, Goa, Puducherry, etc.

भारत में नागरिकता की विशेषता

- भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है यह प्रावधान ब्रिट्रेन के संविधान से लिया गया है, अतः भारत में केन्द्र और राज्य की एक नागरिकता है ।

1955 नागरिकता संशोधन अधिनियम

- परित्याग (Renunciation)
- खत्म करना (Termination)
- वंचित करना (Deprivation)

Characteristics of Citizenship in India

- This provision is derived from the Constitution of Britain, so in India there is a citizenship of the Center and the State.

1955 Citizenship Amendment Act

- परित्याग (Renunciation)
- खत्म करना (Termination)
- वंचित करना (Deprivation)

परित्याग (Renunciation)

- यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग देता है तो उसे परित्याग कहते

खत्म करना (Termination)

- यदि कोई नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त / खत्म जाती है! कर दी

वंचित करना (Deprivation)

- यदि किसी व्यक्ति को नागरिकता ग्रहण करने के 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष से अधिक की सजा होती है तो उसे नागरिकता से वंचित किया जाएगा ।

परित्याग (Renunciation)

- If a citizen voluntarily renounces his citizenship, it is called abandonment.

खत्म करना (Termination)

- If a citizen acquires citizenship of another country, his Indian citizenship will be terminated. It's over! I have done it.

वंचित करना (Deprivation)

- If a person is sentenced to more than 2 years within 5 years of acquiring citizenship, he will be denied citizenship.

- अगर कोई नागरिक भारत से लगातार 7 वर्ष तक बाहर रहता है बिना किसी भारतीय (Authority) प्राधिकरण को बिना सूचनाएँ दिए ।
- नागरिकता ग्रहण करते समय गलत प्रमाण-पत्र और साक्ष्यों को देने पर ।
- देश द्रोह जैसी घटनाओं में शामिल होने पर ।
- **If a citizen stays outside India for 7 consecutive years without giving notice to any Indian authority.**
- **Giving false certificates and evidence while acquiring citizenship.**
- **For indulging in incidents like sedition.**

2019 Citizenship Amendment Act

- नागरिकता संसोधन अधिनियम 2019 इस अधिनियम के माध्यम से तीन देश पाकिस्तान अफगानिस्तान - बांग्लादेश से आने वाले हिन्दु सिख ईसाई जैन बौध पारसी अल्पसंख्यक लोगों के बारे में प्रावधान करता है।
- इसके तहत 31 Dec 2014 से पहले आने वाले सभी व्यक्तियों को बिना किसी पूछ-ताछ विना किसी प्रमाण पत्र के भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी।
- यदि 31 Dec 2014 के बाद उपरोक्त तीन देशों से उपरोक्त धर्म का व्यक्ति यदि भारत आता है उसे 5

NRI	P.I.O	O.C.I
अप्रवासी भारतीय निवास - विदेश Vote Yes	भारतीय लोग मूल के निवास - विदेश Vote - No	समुद्र पार 'भारतीय निवास - विदेश Vote - No

2019 Citizenship Amendment Act

- Through this act, provisions are made for Hindu, Sikh, Christian, Jain, Buddhist, Parsi, minority people coming from three countries Pakistan, Afghanistan and Bangladesh.
- Under this, all the persons who came before 31 December 2014 will be given citizenship of India without any certificate without any inquiry.
- If a person of the above religion comes to India from the above three countries after 31 December 2014, he will be given citizenship of India after staying in India for 5 years

NRI	P.I.O	O.C.I
Non-Residence of India	person of India origin	Overseas citizen of India
Residence – Abroad	Residence - Abroad	Residence - Abroad
Vote - Yes	Vote – NO	Vote – No

- • इनको भारत में आने निवास करने इत्यादि अधिकार प्राप्त होते हैं, नागरिकता संसोधन 2015 के माध्यम से P.I.O और O.C.I को मिलाकर एक कर दिया गया वर्तमान में सिर्फ O. C. I श्रेणी है ।

- **NOTE :-**

- ☞ अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त होती है तो अवयस्क बच्चों की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है और व्यस्क होने पर नागरिकता के लिए प्रयास कर सकते हैं।
- ☞ अनुच्छेद 15,16,19,29,30 सिर्फ भारत के लोगों को प्राप्त होते हैं।

- They have the right to come and reside in India, through the Citizenship Amendment Amendment 2015, P.I.O and O.C.I. were merged into one. C. I is category.

- **NOTE :-**

- ☞ If a person's citizenship ends, the citizenship of minor children automatically ends and they can try for citizenship when they become adults.
- ☞ Articles 15,16,19,29,30 are available only to the people of India.

1. In which Part of the Constitution of India we find the provisions relating to citizenship?

भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से सम्बन्धित प्रावधानों को पाते हैं?

(a) Part I / भाग I

(b) Part II / भाग II

(c) Part VII / भाग VII

(d) Part IX / भाग IX

उत्तर-(b)

Answer

व्याख्या –

संविधान के भाग- II में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गयी है। विकल्प में दिये गये अन्य भागों से सम्बन्धित प्रावधान निम्न हैं-

भाग-I संघ और उसका राज्यक्षेत्र

भाग- VII - (निरसित) पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य (7वें

Who/which of the following is competent of prescribe conditions for acquisition of citizenship? / निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है ?

(a) Election Commission / चुनाव आयोग

(b) President / राष्ट्रपति

(c) Parliament and State Legislatures Jointly

(d) Parliament / संसद

उत्तर- (d)

Answer

व्याख्या - संसद नागरिकता के अर्जन हेतु नियम बना सकती है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग-2, अनुच्छेद-5-11 में वर्णित है। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने का अधिकार भारतीय संसद को है। भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार। निम्नलिखित आधार पर नागरिकता ग्रहण की जा सकती है (1) जन्म - से (2) वंश परम्परा द्वारा नागरिकता, (3) देशीयकरण द्वारा नागरिकता, (4) पंजीकरण द्वारा नागरिकता व (5) भूमि विस्तार द्वारा।

As per citizenship act 1935 by which of the following ways a person can be Indian citizen? नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किनके द्वारा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है?

1. By birth / जन्म द्वारा
2. By origin / उद्भव द्वारा
3. By registration / पंजीकरण द्वारा
4. By nationalization / राष्ट्रीयकरण द्वारा
5. By merger of territory/राज्यक्षेत्र के मिल जाने से

Choose the correct answer using the codes given below- नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

codes/कूट

- (a) 1, 2, 3, 4 & 5 / 1, 2, 3, 4, 5
- (b) Only 1 & 3 / केवल 1 और 2
- (c) Only 1, 2, 3 & 5 / केवल 1, 2, 3 और 5
- (d) Only 3, 4 & 5 / केवल 3, 4 और 5

उत्तर- (a)

Provisions regarding citizenship have been provided in which part of the Constitution?

नागरिकता से सम्बन्धित प्रावधान संविधान के किस भाग में है?

(a) Part 1 / भाग 1 में

(c) Part II / भाग 2 में

(b) Part III / भाग 3 में

(d) Part IV / भाग 4 में

उत्तर (c)

Which of the following articles of the Indian constitution are related to citizenship? भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद भारत में नागरिकता के विषय में हैं?

(a) Articles 333-337/ अनुच्छेद 333 से 337

(b) Articles 17-20/ अनुच्छेद 17 से

(c) Articles 5-11 / अनुच्छेद 5 से 11

(d) Articles 1-4 / अनुच्छेद 1 से 4

उत्तर (c)

Answer

व्याख्या- संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत नागरिकता से सम्बन्धित प्रावधान हैं, अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र सम्बन्धी प्रावधान हैं तथा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 वाक् स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण और अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्ध के

Which one of the following features of citizenship in India is correct? / भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है?

- (a) Dual Citizenship of the States and Nation / राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता
- (b) Single citizenship of a State / राज्य की एकल नागरिकता
- (c) Single citizenship of whole of India / सम्पूर्ण भारत की एकल नागरिकता
- (d) Dual citizenship of India and another country / भारत की दोहरी नागरिकता

Answer

उत्तर- (c)

व्याख्या - भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई - है
भारतीय संविधान का भाग-2, अनु, 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में
उपबंध है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान
किया गया है।

What is the base of getting the citizenship by naturalization? देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार है:

- (a) Birth / जन्म
- (b) Selection / चयन
- (c) By force / बल प्रयोग
- (d) Hereditary / वंशानुक्रम

उत्तर (b)

Answer

व्याख्या- देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार चयन है देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के आधार कोई भी विदेशी वयस्क भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का 12 आवेदन कर सकता है। निर्दिष्ट शर्तें पूरी करने तथा देशभक्ति की शपथ लेकर वह नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है। पूर्णतया संतुष्ट होने पर भारत सरकार नागरिकता का प्रमाण-पत्र दे सकती है।

A citizen of India loses his / her citizenship, if he/she-|| भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, यदि वह-

1. Gives up Indian citizenship / भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है।
2. Willfully acquires the citizenship of another country / स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है।

Answer

3. Get married to the citizen of another country / दूसरे देश के नागरिक से शादी करता है।
4. Criticizes the Government / सरकार को आलोचना करता है।

Select the correct answer by using the correct option.

- (a) 1, 2 and 3 / 1, 2 और 3
- (b) 2, 3 and 4 / 2, 3 और 4
- (c) Only 1 and 2 / केवल 1 और 2
- (d) Only 1 and 4 / केवल 1 और 4

व्याख्या- भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है या स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। अनुच्छेद 11 संसद को भारत की नागरिकता के अर्जन तथा निरसन के सम्बन्ध में तथा उससे संबंधित सभी विषयों के संबंध में विधान अधिनियमित करने की निर्बाध शक्तियां प्रदान करता है। संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 पारित किया जिसमें नागरिकता का स्वयं त्याग करने, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेने या भारत सरकार द्वारा कतिपय आधार पर नागरिकता से वंचित किए जाने के कारण

Which of the following are the ways of acquiring citizenship of India? निम्नलिखित में से भारत की नागरिकता ग्रहण करने के कौन-से तरीके हैं?

1. Birth / जन्म

2. Descent / वंश

3. Incorporational of Territory / क्षेत्र का अधिग्रहण/समामेलन

4. Naturalization/देशीकरण (नैचुरलाइजेशन)

Select the correct answer from the codes given below: नीचे दिए गए कोडों में से सही चुनिए:

Answer

(a) 1 only/केवल 1

(b) 1 and 2/1 और 2

(c) 1, 2 and 4/ 1, 2 और 4

(d) 1, 2, 3 and 4/1, 2, 3 और 4

उत्तर-(c)

व्याख्या - भारत की नागरिकता जन्म, वंश या देशीकरण (प्राकृतिकरूप से) प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई नया भू-भाग भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाता है तो भारत सरकार विज्ञप्ति द्वारा क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया जाता है तो भारत सरकार विज्ञप्ति द्वारा उन व्यक्तियों का ग्रहण करेगी जो उस भूमि के सम्मिलित किये जाने पर भारत के नागरिक हो जायेंगे ।

नागरिकता का अर्थ है

1. नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनैतिक अधिकार
2. लोकसभा (संघ की) और हर राज्य की विधान सभा के निर्वाचन के लिये मताधिकार
3. संसद और विधान सभाओं का सदस्य बनने का अधिकार नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

Citizenship means

1. Full civil and political rights of citizens
2. Voting rights for election to Lok Sabha (Union) and Legislative Assembly of each state
3. The right to become a member of Parliament and Legislative Assemblies

Select the correct answer using the code given below

- (a) Only 1 and 2
- (b) Only 1 and 3
- (c) Only 2 and 3
- (d) 1, 2 and 3

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न

1. कानूनी दर्जे के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों की श्रेणियों को समझाते हुए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1955 के उन प्रावधानों को भी स्पष्ट कीजिये, जो इन्हें मान्यता प्रदान करते हैं?
2. उन प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिये जो नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2015 को नागरिकता अधिनियम, 1955 से अलग करते हैं?
3. संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिये इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है किंतु कुछ ऐसे प्रावधान भी संविधान में मौजूद हैं जो उपरोक्त प्रावधान के अपवादस्वरूप हैं। इकहरी नागरिकता के प्रमुख अपवादों का उल्लेख कीजिये।
4. नागरिकों और विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार के अंतर को स्पष्ट कीजिये।
5. नागरिकता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए भारतीय संविधान में मूलतः समाहित नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख कीजिये।

मौलिक अधिकार || Fundamental Rights (Article - 12-35)

अधिकार :-

व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रदान की गई गारंटी जो की व्यक्ति द्वारा समर्पित उसकी स्वतंत्रता के बदले प्रदान की गई है।

अधिकारों के प्रकार

प्राकृतिक अधिकार :-

- ➡ प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के द्वारा मानव और पशु दोनों को प्रदान किए जाते हैं।
- ➡ प्राकृतिक अधिकारों का जनक जॉन लॉक है।
- ➡ इन अधिकारों में बोलने, सुनने, देखने

Right :-

A guarantee provided by the state to the individual in exchange for his freedom devoted by the individual.

Types of Rights

Natural Rights :-

- ➡ Natural rights are granted by nature to both human beings and animals.
- ➡ The father of natural rights is John Locke.

मानव

- मानव अधिकार विश्व के सभी मानवी को UNO के मानव अधिकार चार्टर 1948 के द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
- 10 Dec को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं।
- UNO के मानव अधिकार चार्टर में 30 अनुच्छेद

मौलिक

- मौलिक अधिकार किसी देश के संविधान द्वारा वहाँ के नागरिकों और गैर नागरिकों को राज्य - के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं।
- ये नागरिकों के मौलिक मूलभूत विकास के

Human

- Human rights are provided to all human beings in the world by the UNO's Human Rights Charter 1948
- Human Rights Day is celebrated on December 10.
- The UNO **Fundamental** Charter has 30 articles and 01 preamble.
- Fundamental rights are provided by the Constitution of a country to its citizens and non-citizens against the state.
- These are very important for the fundamental development of the citizens.

कानूनी

- कानूनी अधिकार किसी देश के कानूनी तंत्र के द्वारा प्रदान किए जाते हैं इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए सूनी कानून की स्थापित प्रक्रिया का पालन करना होता है, अतः इनकी प्राप्ति के लिए सीधे Supreme court और High Court नहीं जा सकते हैं।

Legal

- Legal rights are provided by the legal system of a country, to get these rights, the established procedure of the sunni law has to be followed, so you cannot go directly to the Supreme Court and High Court for their realization.

विश्व में मौलिक अधिकारों का इतिहास || History of Fundamental Rights in the World

- ब्रिटेन के राजा किंग जॉन ने 1215 ई. में सर्वप्रथम ब्रिटेन के लोगों को अधिकारों का लिखित दस्तावेज दिया जिसे मैग्नाकार्टा कहते हैं ।
- King John of Britain first gave a written document of rights to the British people in 1215 AD, which is called Magna Carta.
- रोगना का अर्थ है सर्वोच्च और कार्टा का अर्थ है दस्तावेज अतः यह मैग्नाकार्टा मूल अधिकारों का सर्वोच्च लिखित दस्तावेज है। ।
- Rognna means supreme, and Carta means document. Hence, it is the highest written document of Magna Carta Fundamental Rights.

अमेरिका में मौलिक अधिकार का इतिहास || History of Fundamental Rights in America

- अमेरिका के संविधान में 04 March 1989 को मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया मौलिक अधिकारों के अध्याय को Bill of Rights कहते हैं।
- अमेरिका का संविधान मौलिक अधिकारों के प्रावधान वाला विश्व का संविधान है।
- On March 4, 1989, fundamental rights were added to the United States Constitution
- The U.S. Constitution is the world's constitution with the provision of fundamental rights.

फ्रांस में मौलिक अधिकार का इतिहास || History of Fundamental Rights in France

- फ्रांस में के संविधान में 26 Aug 1789 में मौलिक अधिकार जोड़े गए ।
- इस अध्याय को नागरिकों और मानवों के लिए अधिकारों का दस्तावेज कहते हैं। (Be charter of Rights for Citizens and men.)
- Fundamental Rights were added to the Constitution of France on 26 August 1789.
- This chapter is called a document of rights for citizens and human beings. (Be charter of Rights for Citizens and men.)

फ्रांस में मौलिक अधिकार का इतिहास || History of Fundamental Rights in France

- फ्रांस में के संविधान में 26 Aug 1789 में मौलिक अधिकार जोड़े गए ।
- इस अध्याय को नागरिकों और मानवों के लिए अधिकारों का दस्तावेज कहते हैं। (Be charter of Rights for Citizens and men.)
- Fundamental Rights were added to the Constitution of France on 26 August 1789.
- This chapter is called a document of rights for citizens and human beings. (Be charter of Rights for Citizens and men.)

भारत में मौलिक अधिकार का इतिहास || History of Fundamental Rights in India

1. 1895 में स्वराज विधेयक में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई। (बाल गंगाधर तिलक)
 2. 1925 में एनीवेसेंट के द्वारा कॉमन वेल्थ विल ऑफ नेशन में मौलिक अधिकारों की मांग रखी।
 3. 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की लिखित मांग की।
1. In 1895, the Swaraj Bill first demanded fundamental rights. (Bal Gangadhar Tilak)
 2. In 1925, the Ancient Nation demanded fundamental rights in the Common Wealth Bill of Nation.
 3. In 1928, Motilal Nehru made a written demand for fundamental rights in the Nehru Report.

भारत में मौलिक अधिकार का इतिहास || History of Fundamental Rights in India

5. 1934 में सरकार की संयुक्त समिति ने मौलिक अधिकार को अस्वीकार कर दिया।
 - In 1934, the Joint Committee of the Government rejected the Fundamental Right.
6. 1935 के भारत शासन अधिनियम में मौलिक अधिकारों का प्रावधान नहीं गया।
 - The Government of India Act of 1935 did not provide for fundamental rights.
7. 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति ने मौलिक अधिकारों का विभाजन दो भागों में कर दिया।
 - In 1945, the Tej Bahadur Sapru Committee divided the fundamental rights into two parts.

1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? || Which of the following statements is correct?

- A. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट (1928) ने समर्थन किया था। || The Nehru Report (1928) supported the inclusion of fundamental rights in the Indian Constitution
- B. भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने मौलिक अधिकारों को प्रश्रय दिया था। || The Government of India Act, 1935 gave shelter to fundamental rights.
- C. अगस्त प्रस्ताव, 1940 ने मौलिक अधिकार शामिल किए थे। || The August Resolution, 1940 incorporated fundamental rights.
- D. क्रिप्स मिशन, 1942 ने मौलिक अधिकारों को प्रश्रय दिया था। || The Cripps Mission, 1942 gave shelter to fundamental rights.

उत्तर - (a)

Answer

व्याख्या - दिए गए कथनों में से कथन (a) सही है।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट (1928) ने समर्थन किया था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए एक आठ सदस्यों वाली समिति बनाई गई थी। इस समिति ने प्रस्तावित संविधान का, जो प्रारूप तैयार किया, उसे ही 'नेहरू रिपोर्ट' के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट में नागरिकता को परिभाषित करते हुए 19 मौलिक अधिकारों की सिफारिशें की गई थीं। इसमें 21 वर्ष

2. मौलिक अधिकार क्या हैं? || What are Fundamental Rights?

A. वाद योग्य || Controversial

B. अवाद योग्य || Worthy of
controversy

C. लचीले || Flexible

D. कठोर || hard

उत्तर - (a)

Answer

व्याख्या - मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, किन्तु असीमित नहीं है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। राज्य इन अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगा सकता है। संविधान के भाग III के अनुच्छेद 12-35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान मिलता है।

3. मौलिक अधिकार || Fundamental Rights

- (a) कभी भी निलम्बित नहीं किए जा सकते || Can never be suspended
- (b) प्रधानमन्त्री के निर्देशों से निलम्बित हो सकते हैं || Can be suspended by the instructions of the Prime Minister
- (c) राष्ट्रपति की इच्छा पर निलम्बित हो सकते हैं || Can be suspended at the will of the President
- (d) आपातकालीन स्थिति में निलम्बित किए जा सकते हैं || Can be suspended in case of emergency

उत्तर - (a)

Answer

व्याख्या - मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलम्बित किए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 358 एवं 359 में आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मौलिक अधिकारों के निलम्बन सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों के निलम्बन से सम्बन्धित हैं, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मौलिक अधिकारों के निलम्बन (अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर) से सम्बन्धित है। अनुच्छेद 358 के अनुसार, जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, तो

4. अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है, क्योंकि || Rights are called fundamental rights, because

1. यह संविधान में उल्लिखित होता है। || It is mentioned in the Constitution.
2. यह प्रजातान्त्रिक होता है। || It is democratic.
3. यह लोक कल्याणकारी होता है। || It is public welfare.
4. यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। || It is necessary for personality development.
5. संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। || Parliament cannot legislate against it.

कूट

- | | |
|---------------|--------------|
| (a) 1, 2 और 3 | (c) 1,4 और 5 |
| (b) 1, 3 और 5 | (d) 2,3 और 5 |

उत्तर (c)

Answer

व्याख्या - अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है, क्योंकि ये संविधान , में उल्लिखित होते हैं। ये व्यक्तिव विकास के लिए आवश्यक होते हैं। संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। इन्हें संविधान द्वारा गारण्टी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र के कानून का मूल सिद्धान्त है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के बहुआयामी विकास (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं अध्यात्मिक) के लिए आवश्यक हैं। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लिए इसे प्रभावी बनाया गया है। संसद मौलिक अधिकार के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। ये अधिकार संसद के कानून निर्माण तथा क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। अनुच्छेद 18 के अन्तर्गत न्यायालय ऐसी

5. मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है || The key force of the concept of human rights is

- (a) सम्पत्ति के अधिकार पर || On property rights**
 - (b) समानता के अधिकार पर || On the right to equality**
 - (c) धर्म के अधिकार पर || On the right to religion**
 - (d) मानव होने के नाते मानव गरिमा पर || Being human is at human dignity**
- उत्तर (d)**

Answer

व्याख्या - मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है। मानव अधिकारों से अभिप्राय मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है, जिसके सभी मानव प्राणी हकदार हैं। यह मानव होने के नाते गरिमापूर्ण जीवन जीने से सम्बद्ध है। अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं के उदाहरण के रूप में जिनकी गणना की जाती है, उनमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार सम्मिलित हैं; जैसे- अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता व कानून के समक्ष समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ-ही-साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार आदि। भारत का संविधान मौलिक

6. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? || Which of the following statements are correct?

- (a) अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं । || Rights are the claims of the state against the citizens.**
- (b) अधिकार वे विशेषाधिकार हैं, जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। || Rights are the privileges that are enshrined in the constitution of a state.**
- (c) अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। || Rights are the claims of citizens against the state.**
- (d) अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। || Rights are the prerogative of a few citizens against most people.**

Answer

व्याख्या - दिए गए कथनों में से कथन (c) सही है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे के रूप में प्रदान किए गए हैं, जिनका मूल उद्देश्य राज्य की मनमानियों से नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं तथा विधानमण्डल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं।

7. निम्नालिखित में से किस व्यक्ति ने मालिक अधिकारों को 'हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता' कहा था? || Who among the following called fundamental rights 'a pledge to our people and an agreement with the civilized world'?

- (a) अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं । || Rights are the claims of the state against the citizens.
- (b) अधिकार वे विशेषाधिकार हैं, जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। || Rights are the privileges that are enshrined in the constitution of a state.
- (c) अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। || Rights are the claims of citizens against the state.
- (d) अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। ||

Answer

व्याख्या - डॉ. एस. राधाकृष्णन ने कहा था कि "मौलिक अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। "

डॉ. एस. राधाकृष्णन का मानना था कि हमें राज्य के अतिक्रमण के विरुद्ध मानवीय आत्मा की स्वतन्त्रता की रक्षा करनी चाहिए । आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए राज्य विनियमन आवश्यक है, इसे मानवीय भावना की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने संविधान सभा में कहा था, यह घोषणा जो हम आज करते हैं, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य दुनिया के साथ एक समझौते की प्रकृति की है।

8. भारतीयों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? || How many fundamental rights do Indians have?

(a) नौ || 9

(b) दस || 10

(c) सात || 7

(d) छः || 6

उत्तर (d)

Answer

व्याख्या - भारतीयों को कुल छः मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार हैं

- (i) समानता का अधिकार अनुच्छेद (14-18)
- (ii) स्वतन्त्रता का अधिकार अनुच्छेद (19-22)
- (iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद (23-24)
- (iv) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
- (v) संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
- (vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)